मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/नियमन/ निराश्रित सहायता राशि /2019-20,/1552 भोपाल, दिनांक 22/03/2019

प्रति

1. संयुक्त / उप संचालक,
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आँचलिक कार्यालय - (समस्त)

2. सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
(समस्त)

विषय - शासकीय उपार्जन अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित कृषि उपजों पर निराश्रित सहायता राशि के उद्ग्रहण के संबंध में ।

शासकीय उपार्जन अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित कृषि उपजों पर मण्डी फीस की छूट के संबंध में मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी की गई है ।

इस संबंध में अवगत होवें कि विनिर्दिष्ट कृषि उपज (तिलहन, दलहन, अनाज, कपास, सोयाबीन) के विक्रय पर निराश्रित सहायता राशि का उद्ग्रहण, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय तथा निःशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.01.2000 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है ।

इस संबंध में प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय तथा निःशक्तजन कल्याण विभाग की नोटशीट टीप दिनांक 30.01.2019 द्वारा भी अवगत कराया गया है कि विनिर्दिष्ट कृषि उपज के विक्रय मूल्य पर 0.2 % अर्थात प्रत्येक 100 रूपये या उसके भाग पर 20 पैसा निराश्रित सहायता राशि उद्ग्रहण की दर नियत है ! इसी राशि से निराश्रित निधि निर्मित होती है । इस निधि से दिव्यांगजनों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती है । अतः इसमें संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

अतः शासकीय उपार्जन अंतर्गत मण्डी फीस की छूट होने पर निराश्रित सहायता राशि के उद्ग्रहण पर छूट होने के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने से नियमानुसार निराश्रित सहायता राशि का उद्ग्रहण किया जाना है ।

अतः उक्तानुसार अवगत होते हुए शासकीय उपार्जन अंतर्गत भी नियमानुसार निराश्रित सहायता राशि का उद्ग्रहण किया जावें ।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/नियमन/ निराश्रित सहायता राशि /2019-20,/1553 भोपाल, दिनांक 22/03/2019

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय तथा निःशक्तजन कल्याण विभाग, भोपाल ।
3. शाखा प्रबंधक, नेफेड, इंदौर । निराश्रित सहायता राशि के उद्ग्रहण पर छूट होने के संबंध अन्य आगामी कार्यवाही हेतु आप शासन स्तर से ही संपर्क करें । शासन से कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर योग्य कार्यवाही की जा सकेगी तब तक के लिए **आप संबंधित मण्डी में नियमानुसार निराश्रित सहायता राशि जमा करावें ।**

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल